(11)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- कुलपति, - अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

2- प्रमुख सचिव (कृषि), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3- प्रमुख सचिव (वित्त), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4- सचिव (शिक्षा), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5- कृषि निदेशक, - सदस्य
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ

6- निदेशक पशुपालन, - सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- डा० पी०बी० माथुर, - सदस्य
उप महानिदेशक (ए०एस०ई०),
आई०सी०ए०आर०, कृषि अनुसंधान भवन,
पूसा, नई दिल्ली ।

8- डा० किरन सिंह, - सदस्य
सहायक महानिदेशक (ए०एस०),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

9- श्री सुखराम सिंह [redacted], - सदस्य,
सदस्य विधान परिषद,
268, एच०आई०जी०, रतन लाल नगर,
कानपुर ।

10- चौ० विक्रम सिंह, - सदस्य
भूतपूर्व विधायक,
सैदपुर, बुलन्दशहर ।

11- श्री अतर सिंह यादव, - सदस्य
ग्राम-बजरहाट, पोस्ट-हरदोई,
जिला-इटावा ।

12- श्री संजय डालमिया, - सदस्य
9-तीस जनवरी मार्ग,
नई दिल्ली ।

संख्या: सी०एस०यू०/सी- 126 /बोर्ड-82 दिनांक: अगस्त 5, 1991

महोदय,

आपकी सेवा में गत 25-7-1991 को सम्पन्न हुयी प्रबन्ध मण्डल की बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक-उपरोक्त ।

भवदीय,

(भगवान दास)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

d/e 1/8

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 82वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : कुलपति कक्ष, कानपुर ।

दिनांक : 25.7.1991

समय : 11.00 बजे

उपस्थिति :

1- डा० उदय वीर सिंह, कुलपति - अध्यक्ष

2- श्री नवीन चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त - सदस्य

3- श्री सुखराम सिंह, सदस्य विधान परिषद । - सदस्य

4- चौ० विक्रम सिंह, भूतपूर्व विधायक - सदस्य

5- श्री अतर सिंह यादव, - सदस्य

6- श्री भगवान दास, अर्थ नियन्त्रक - सचिव

82:1 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 20-6-91 को सम्पन्न हुई 81वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल की 20-6-91 को हुई बैठक की कार्यवाही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी । इस कार्यवाही पर प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री नवीन चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि दिनांक 20-6-91 की कार्यवाही में निम्न तीन बिन्दुओं पर शासन के वित्त विभाग के अभिमत पर भी विचार कर लिया जाये :-

81:1 - Medical reimbursement cases.

कुलपति महोदय को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय अधिकार की सीमा रु० 1000/- से बढ़ा कर रु० 5000/- तक वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित करने के मामले को वित्त उप समिति के माध्यम से तथा अनुशंसा के बाद ही प्रबन्ध मण्डल में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिये था ।

81:2 - डा० मदन मोहन पाठक, पल्स ड्रीडर एवं डा० राम नाथ, पादप रोग निदान विज्ञान विभाग के चिकित्सा हेतु अटेन्डेन्टों के यात्रा भत्ता पर हुये व्यय के भुगतान पर विचार ।

डा० मदन मोहन पाठक एवं डा० राम नाथ को चिकित्सा हेतु परिचारकों पर विचार करने के लिये भी मामले को वित्त उप समिति के माध्यम से प्रबन्ध मण्डल के समक्ष लाया जाना चाहिये था ।

---2

81:7 - डा० डी०सी० कौशिक, डा० जितेन्द्र कुमार एवं श्री अमर सिंह परमार को यू०जी०सी० वेतनमान रु० 700-1600 संविलियन की तिथि से दिये जाने पर विचार ।

डा० डी०सी० कौशिक, डा० जितेन्द्र कुमार एवं श्री अमर सिंह परमार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान रु० 700-1600 में संविलियन के लिये विचार हेतु इन तथ्यों को भी देखना चाहिये था कि इन अधिकारियों की रिट उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है, पूर्व में प्रबन्ध मण्डल भी अपनी बैठक दिनांक 22/23-1-1982 में निरस्त कर चुका है और वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें भी ये शैक्षिक पूर्ण नहीं करते हैं । अत: इसके पुन: विचार एवं अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये बिन्दु-। पर अर्थ नियन्त्रक/सचिव, प्रबन्ध मण्डल ने तत्कालीन परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया जिसमें वित्तीय अधिकार के प्रतिनिधायन की व्यवस्था की गयी है तथा इस बात से सहमति व्यक्त की कि वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये बिन्दु सही हैं और समस्त वित्तीय मामले प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ ले जाने के पूर्व वित्त उप समिति में लेजाने चाहिये थे; लेकिन इस मामले में प्रतिनिधायन हेतु कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा नहीं किया गया था वरन् प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की लम्बी संख्या को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन संयुक्त सचिव कृषि श्री बी०डी० सिंह जो कि प्रमुख सचिव कृषि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने प्रबन्ध मण्डल के विचार विमर्श के मध्य यह सुझाव दिया था कि यदि कुलपति महोदय को प्रदत्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के वित्तीय व्यय की सीमा रु० 1000/- से बढ़ाकर रु० 5000/- कर दी जाये तो इन मामलों का त्वरित निस्तारण होगा । प्रबन्ध मण्डल ने इसका अनुमोदन कर दिया । अर्थ नियन्त्रक ने यह भी अवगत कराया कि तदनुसार विश्वविद्यालय में कार्यवाही की जा रही है । प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वित्तीय प्राविधान के मामलों को शासन की वित्त उप समिति को संदर्भित कर दिया जाये । यदि वित्तीय उप समिति सिफारिश करती है तो इसे पुन: प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

2- डा० मदन मोहन पाठक एवं डा० राम नाथ के परिचारकों को यात्रा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि वित्तीय नियमों के आधार पर कार्यवाही करके पूर्णरूप से परीक्षण कर लिया जाये । परीक्षण का कार्य अर्थ नियन्त्रक कार्यालय करेगा । संयुक्त सचिव वित्त ने इस पर संतोष व्यक्त किया ।

3- डा० डी०सी०कौशिक, डा० जितेन्द्र कुमार एवं श्री अमर सिंह परमार को यू०जी०सी० वेतनमान देने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन नहीं किया ।

---3

प्रबन्ध मण्डल की 81वीं बैठक की कार्यवाही उक्त तीनों प्रस्तावों में संशोधन के साथ अनुमोदित कर दी गयी ।

82:2 - डा0 जे0एस0 सिन्धु की नियुक्ति संयुक्त आयुक्त (दुलहन) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि डा0 सिन्धु के सेवा अभिलेख एवं शैक्षणिक अभिलेख प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें तत्पश्चात इस संदर्भ में निर्णय लिया जायेगा ।

82:3 - डा0 जे0एस0 सिन्धु को दिनांक 1-8-89 से दो वर्ष की अवधि के लिये असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार ।

डा0 सिन्धु को दिनांक 1-8-89 से 2 वर्ष की अवधि के लिये असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया ।

82:4 - कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी योजना ।

प्रस्ताव एवं अर्थ नियन्त्रक की टिप्पणी पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि परियोजना के क्रम सं0-1 व 2 के पद क्रमशः पोल्ट्री जेनेटिसिस्ट (वेतनमान रु0 3700-5700) तथा फार्म मैनेजर (वेतनमान रु0 2200-4000) का कार्य वर्तमान शिक्षकों से ही लिया जाये और उन्हें इस योजना से ही वेतन दिया जाये जिससे कि योजना की समाप्ति पर उक्त पदधारकों को विश्वविद्यालय में समायोजित करने में कोई कठिनाई एवं असुविधा न हो । प्रबन्ध मंडल ने यह भी चाहा है कि योजना का संचालन इस तरह से किया जाये कि वह अपने आप में एक उदाहरण बन सके एवं अन्य पोल्ट्री संचालकों के लिये आदर्श हो सके ।

82:5 - कुलसचिव/सहायक कुलसचिव के वेतनमान का पुनरीक्षण ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि अर्थ नियन्त्रक वेतन के मामले का पुनरीक्षण करें तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय की पद्धति का भी परीक्षण करें । वेतनमान पुनरीक्षण का मामला वित्त उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और उसकी रिपोर्ट के साथ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार विमर्श हेतु लिये प्रस्तुत किया जाये ।

---4

82:6 - कानपुर एवं मथुरा प्रांगण में एक-एक पद इन्स्ट्रक्टर फिजिकल एजूकेशन के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार ।

कानपुर एवं मथुरा प्रांगण के लिये पदों के सृजन पर सैध्दान्तिक रूप से सहमति प्रदान की और निर्देश दिया कि इस मामले को वित्त उप समिति में रखा जाये और वेतनमान का परीक्षण भी कर लिया जाये ।

82:7 - डा० ए०एस० करखी, वैज्ञानिक 'एस-II'/जूनियर साइंटिस्ट का दो वर्ष के लिये धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

डा० करखी को दिनांक 5-10-89 से 2 वर्ष के लिये धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

82:8 - विश्वविद्यालय में कार्यरत डा० यू०एस० संतोषी, मिलेट ब्रीडर की दिनांक 23-11-89 से 22-12-89 (30 दिन) भारत सरकार के इथियोपिया शिष्ट मण्डल में शामिल होने के दौरान दैनिक भत्ते के 1/4 घटकर व्यय रु० 6117/- की स्वीकृति ।

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर डा० संतोषी को दैनिक भत्ते के रूप में दिये जाने के लिये रु० 6117/- की राशि का भुगतान करने के लिये प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की ।

82:9 - 14वीं मृदा विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में डा० के०एस० राठी के भाग लेने से हुये व्यय के अतिरिक्त भुगतान पर विचार ।

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल ने डा० राठी द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय रु० 1000/- को भुगतान करने के लिये स्वीकृति प्रदान की ।

82:10- श्री राम समुझ के सेवा निवृत्त के बाद बढ़ा हुआ मकान किराया माफ करना ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित कर दिया ।

82:11- अधिष्ठाता, कृषि संकाय के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन प्रदान किया जाना ।

अधिष्ठाता, कृषि संकाय के पद पर डा० हरि गोविन्द सिंह द्वारा की गयी रिक्ति पर डा० अयोध्या प्रसाद के चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित कर दिया और चयन समिति की कार्यवाही के मूल पृष्ठ पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किये ।

82:12- विश्वविद्यालय परिसर में कम्पनी बाग चौराहे के पास टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु टेलीफोन विभाग को जमीन देने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय परिसर में टेलीफोन विभाग को एक्सचेंज खोलने के लिये जमीन देने पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि जमीन नब्बे वर्ष के

---5

लिये लीज पर दी जाये परन्तु प्रत्येक तीस वर्ष बाद इस लीज का नवीनीकरण विश्वविद्यालय से प्राप्त करना होगा परन्तु ऐसा न होने पर जमीन स्वत: विश्वविद्यालय की हो जायेगी और लीज पर भूमि लेने वाले विभाग का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा ।

82:13 - विश्वविद्यालय के स्टेच्युटरी अधिकारियों एवं समकक्ष निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के आशुलिपिकों (वेतनमान रु0 1400-2300) को कार्यालय सचिव (रु0 1400-2600) में प्रोन्नति करते हुये पदास्थित किये जाने का प्रस्ताव ।

कार्यालय सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिये निदेशक प्रशासन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि यह वित्तीय मामला है और इस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

आनन्द

(भगवान दास)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

(उदय बीर सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल